village – [illegible]
Kharra – 1186 ~~1075~~ 1071
21 ~~182~~ 8 5999/07

(19)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

र प्रदेश UTTAR PRADESH

कोषागार लखनऊ से जारी
K 973905
23 DEC 2009

-1-

<u>विक्रय अनुबन्ध पत्र बिना कब्जा</u>

प्रतिफल की धनराशि – रू0 10,00,000/–

अग्रिम धनराशि – रू0 9,00,000/–

बकाया धनराशि – रू0 1,00,000/–

अदा किये गये जनरल स्टैम्प– रू0 20,100/–

1. भूमि का प्रकार – कृषि
2. परगना – मोहनलालगंज

क्र० 11324

क्रय की तिथि 26-12-03

[illegible] के प्रयोजन .... रजि०

[illegible] .... प्रसिद्धि कन० प्रा० लि०

....

[illegible] 5000/-

राम कुमार (स्टाम्प विक्रेता)
लाइसेन्स नम्बर 195/03
लाइसेन्स की अवधि 31-3-2014
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 894637

3. ग्राम — मस्तेमऊ
4. सम्पत्ति का विवरण — भूमि खसरा संख्या संख्या 1186 रकबा 1.133 हे0 में से 0.115 हे0, खसरा संख्या 1075 रकबा 0.146 हे0, खसरा संख्या 1071 रकबा 0.036 हे0 कुल रकबा 0.297 हे0 ग्राम–माढ़रमऊकला, परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ।
5. मापन की ईकाइ — हेक्टेअर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल — 0.297 हेक्टअर
7. सड़क की स्थिति — सुल्तानपुर रोड व अमरशहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूर
8. सम्पत्ति का प्रकार — कृषि
9. पेड़ों की स्थिति — कोई पेड़ नहीं है।

क्रम संख्या.......... 15279

स्टाम्प विक्रय की तिथि [illegible] 26-12-08

स्टाम्प क्रय करने का [illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम [illegible]

स्टाम्प [illegible] 1500

मो० [illegible] स्टाम्प विक्रेता

[illegible] -134

लाइसेन्स की [illegible] -3-2013

दीवानी, लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 894639

10. बोरिंग / कुआं अन्य–कुछ भी नहीं है।

चौहद्दी खसरा नं0 1186

उत्तर : खसरा नं0– 1184, 1185
दक्षिण : खसरा नं0– 1187
पूरब : खसरा नं0– 1189
पश्चिम : खसरा नं0– 1146

चौहद्दी खसरा नं0 1075

उत्तर : खसरा नं0– 1074
दक्षिण : खसरा नं0–1076
पूरब : खसरा नं0– 1066
पश्चिम : खसरा नं0– 1077, 1079

क्रम संख्या 152 [illegible]
स्टाम्प विक्रय की ति[illegible] 26-12-0[illegible]
स्टाम्प क्रय करने [illegible]
स्टाम्प क्रेता का [illegible] प्राप्ति [illegible]
स्टाम्प की राशि [illegible] 5000
[illegible] विक्रेता
[illegible]
लाइसेन्स की अवधि 31-3-2013
दीवानी, लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH K 894638

चौहद्दी खसरा नं0 1071

उत्तर : खसरा नं0– 1053, 1055
दक्षिण : चकरोड
पूरब : खसरा नं0– 1070
पश्चिम : खसरा नं0– 1077

प्रथम पक्ष की संख्या–1 : द्वितीय पक्ष की संख्या–1

प्रथम पक्ष का विवरण	:	द्वितीय पक्ष का विवरण
बालकेश पुत्र पृथ्वीपाल, निवासी ग्राम–मिर्जापुर भिटारी पो0 नौगॉव, तहसील व जिला फतेहपुर।	:	प्रसिद्धि कान्सट्रक्सन्स प्रा0 लि0, रजिस्टर्ड आफिस– द्वितीय तल, एल्डिको कार्पोरेट चेम्बर प्रथम, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

बालकेश

क्रम संख्या 15801 ... 26-12-05

स्टाम्प विक्रय की ...

स्टाम्प ...

स्टाम्प ... पुरोहित कान्ट्रेक्शन प्रा० लि०

स्टाम्प ... 5700 ... विक्रेता

[illegible]

लाइसेन्स ... 2013

दीवानी, लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 638499

		द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री टी0 के0 दीक्षित पुत्र स्व0 सी0 एस0 दीक्षित निवासी– बी–703, महानगर, लखनऊ।
व्यवसाय– कृषि		व्यवसाय– व्यापार

यह विक्रय अनुबन्ध पत्र बालकेश पुत्र पृथ्वीपाल, निवासी ग्राम–मिर्जापुर भिटारी पो0 नौगॉव, तहसील व जिला फतेहपुर जिन्हें आगे प्रथम पक्ष कहा गया है (जिसके अन्तर्गत प्रथम पक्ष के विधिक उत्तराधिकारी, वारिसान एवं निष्पादकगण सम्मिलित है)

3.73

26-12-2009

मुकुन्द ... मिश्रा

लाइसेंस नं० 66

... अवधि 31-3-2010

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 638422

एवम्

प्रसिद्धि कान्सट्रक्सन्स प्रा0 लि0, रजिस्टर्ड आफिस– द्वितीय तल, एल्डिको कार्पोरेट चेम्बर प्रथम, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री टी0 के0 दीक्षित पुत्र स्व0 सी0 एस0 दीक्षित निवासी– बी–703, महानगर, लखनऊ जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है (जिसके अन्तर्गत द्वितीय पक्ष के विधिक उत्तराधिकारी, वारिसान एवं निष्पादकगण सम्मिलित है) के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि प्रथम पक्ष भूमि खसरा संख्या संख्या 1186 रकबा 1.133 हे0 में से 0.115 हे0, खसरा संख्या 1075 रकबा 0.146 हे0, खसरा संख्या 1071 रकबा 0.036 हे0 कुल रकबा 0.297 हे0 ग्राम–माढ़रमऊकला, परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ का मालिक, कामिल व काबिज है।

क्रमांक संख्या 2739

स्टाम्प विक्रय की तिथि 26-12-2019

यह कि प्रथम पक्ष ने खसरा संख्या 1186 रकबा 0.115 हे0 सुमिरन पुत्र श्रीकृष्ण निवासी– ग्राम मिर्जापुर, मस्तेमऊ, लखनऊ से द्वारा रजिस्टर्ड बयनामा क्रय की थी जो कि उपनिबन्धक मोहनलालगंज के कार्यालय में दिनांक 28.01.2009 को बही संख्या 1, खण्ड 1780, पृष्ठ 385 से 304 पर दस्तावेज नं0 542/09 पर दर्ज है। प्रथम पक्ष के नाम का दाखिल खारिज हो चुका है।

यह कि प्रथम पक्ष ने खसरा संख्या 1075 रकबा 0.146 हे0 श्रीमती रामकली पत्नी छेदालाल से द्वारा रजिस्टर्ड बयनामा क्रय की थी जो कि उपनिबन्धक मोहनलालगंज के कार्यालय में दिनांक 29.06.2009 को बही संख्या 1, खण्ड 1886, पृष्ठ 281 से 310 पर दस्तावेज नं0 3087/09 पर दर्ज है।

यह कि प्रथम पक्ष ने खसरा संख्या 1071 रकबा 0.036 हे0 मनोहर पुत्र राम दयाल निवासी– ग्राम मिर्जापुर, मस्तेमऊ, लखनऊ से द्वारा रजिस्टर्ड बयनामा क्रय की थी जो कि उपनिबन्धक मोहनलालगंज के कार्यालय में दिनांक 15.07.2009 को बही संख्या 1, खण्ड 1896, पृष्ठ 341 से 374 पर दस्तावेज नं0 3322/09 पर दर्ज है। प्रथम पक्ष के नाम का दाखिल खारिज हो चुका है।

यह कि प्रथम पक्ष को पैसों की सख्त आवश्यकता है इसलिये प्रथम पक्ष अपना सम्पूर्ण हिस्सा द्वितीय पक्ष को इस विकय अनुबन्ध पत्र द्वारा रू0 **10,00,000/–** (रू0 दस लाख मात्र) जिसके आधे रू0 **5,00,000** (रू0 पाँच लाख मात्र) होते हैं, में विक्रय करना तय किया है। प्रथम पक्ष उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि प्रथम पक्ष यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा

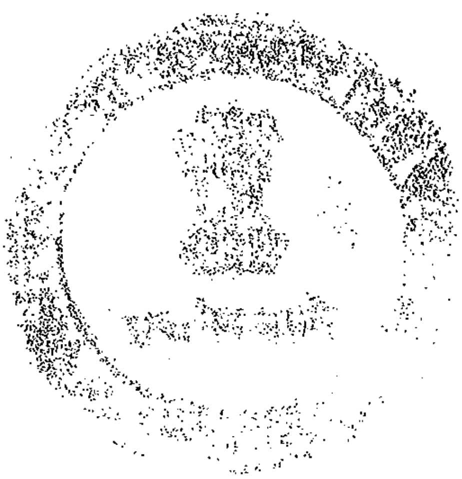

प्रथम पक्ष ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। प्रथम पक्ष ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार प्रथम पक्ष व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होगें। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। प्रथम पक्ष के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं प्रथम पक्ष को उक्त अनुबन्ध करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

यह कि प्रथम पक्ष ने बतौर अग्रिम धनराशि रू0 **9,00,000/–**(रू0 नौ लाख मात्र) द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिया है जिसका उपरोक्त द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को प्रथम पक्ष यहाँ स्वीकार करता है।

यह कि प्रथम पक्ष उक्त भूमि को विक्रय करने की अनुमति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के बाद द्वितीय पक्ष या उसके द्वारा नामित किसी व्यक्ति या कम्पनी के पक्ष में दो माह के भीतर विक्रय विलेख अवश्य निष्पादित कर देगा तथा शेष बकाया धनराशि रू0 **1,00,000/–**(रू0 एक लाख मात्र) द्वितीय पक्ष से प्राप्त करके रजिस्ट्री द्वितीय पक्ष या उसके द्वारा नामित किसी व्यक्ति या कम्पनी के पक्ष में कर देगा तथा कोई हीलाहवाली या बहानेबाजी नहीं करेगा। ऐसी किसी भी प्रकार की स्थिति में द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह जरिये अदालत विक्रय विलेख निष्पादित करवा ले।

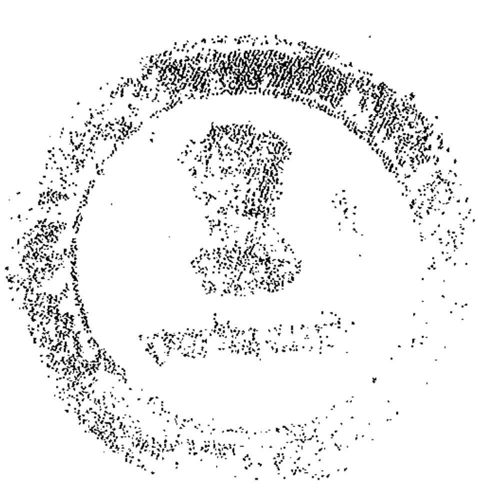

यह कि विक्रीत भूमि का कब्जा विक्रय विलेख निष्पादित होने के समय द्वितीय पक्ष को दिया जायेगा। इस अनुबन्ध पत्र के साथ उक्त भूमि का कब्जा नही दिया जा रहा है।

यदि विकयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग प्रथम पक्ष के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण द्वितीय पक्ष या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो द्वितीय पक्ष उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, प्रथम पक्ष की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति में विकेंता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि प्रथम पक्ष यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है। यह कि इस विकय अनुबन्ध पत्र के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको प्रथम पक्ष भुगतान व वहन करेंगे, प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि विकय मूल्य रू0 **10,00,000/–** पर ही रू0 **20,100/–** का जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। प्रथम पक्ष अनुसूचित जाति का सदस्य है। इस विकय अनुबन्ध पत्र के निबन्धन का समस्त व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विकय अनुबन्ध पत्र प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के पक्ष में बिना किसी जोर व दबाव के स्वस्थ चित्त मन से समक्ष गवाहान लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पड़ने पर काम आवे।

परिशिष्टः भुगतान विवरण

1. प्रथम पक्ष को रू0 9,00,000/— द्वारा चेक संख्या— 366511 दिनांकित 26/12/2009 एच0डी0एफ0सी0 बैंक, अलीगंज, लखनऊ द्वितीय पक्ष से प्राप्त हुए। जिसकी प्राप्ति को प्रथम पक्ष स्वीकार करता है।

लखनऊः
दिनांक : 29.12.2009

गवाह :

1. पंकज मिश्रा S/o राम नरेश मिश्रा लालबाग (लखनऊ)

प्रथम पक्ष

2. U. S. Tiwari S/o J. P. Tiwari Teli Bagh LKO.

द्वितीय पक्ष

टाईपकर्ता
(लवलेन्द्र सिंह)
सिविल कार्ट लखनऊ

मसविदाकर्ता
(बेंकट रमन सिंह)
एडवोकेट
सिविल कार्ट लखनऊ

विक्रय अनुबंध विलेख (बिना कब्जा)

प्रतिफल	मालियत	अग्रिम धनराशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग
1,000,000.00	900,000.00		10,000.00	20	10,020.00	1,000

श्री बालकेश
पुत्र श्री पृथ्वीपाल
पेशा कृषि
निवासी स्थायी ग्राम मिर्जापुर भिटारी पो.नौगाँव तह.व जि-फतेहपुर
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 30/12/2009 समय 2:31PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
प्रमोद कुमार गुप्ता
उ.नि.मोहनलालगंज
लखनऊ
30/12/2009

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री बालकेश
पुत्र श्री पृथ्वीपाल
पेशा कृषि
निवासी ग्राम मिर्जापुर भिटारी पो.नौगाँव तह.व
जि-फतेहपुर

क्रेता

प्रसिद्धि कां.प्रा.लि.द्वारा अधि.ह.टी.के.दीक्षित
पुत्र श्री स्व.सी एस दीक्षित
पेशा नौकरी
निवासी बी-703 महानगर लखनऊ

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री पंकज झा
पुत्र श्री राम नरेश झा
पेशा नौकरी
निवासी लालबाग लखनऊ
व श्री बी आर सिंह एडवो.
पुत्र श्री
पेशा वकालत
निवासी हाईकोर्ट लखनऊ
ने की ।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
प्रमोद कुमार गुप्ता
उ.नि.मोहनलालगंज
लखनऊ
30/12/2009

ग्राम मस्तेमऊ, परगना - मोहनलालगंज, तहसील - मोहनलालगंज

जिला - लखनऊ

खसरा नं० 1071, 1075

रकबा - 0.036, 0.146

क्रेता

विक्रेता

विक्रेता

Registration No.: 5999 Year : 2,009 Book No. : 1

0101 बालकेश

पृथ्वीपाल

ग्राम मिर्जापुर गिटारी पो.नौगाँव तह.व जि-फतेहपुर

कृषि

ग्राम मस्तेमऊ, परगना - मोहनलालगंज, तहसील - मोहनलालगंज
जिला - लखनऊ

खसरा नं०

रकबा -

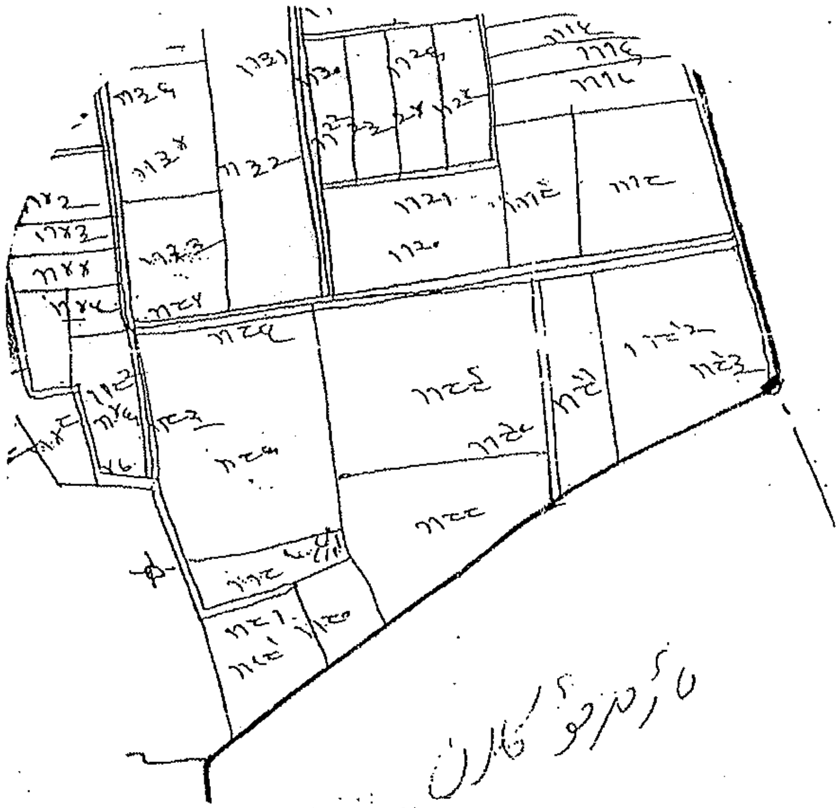

विक्रेता

क्रेता

क्रेता

Registration No. : 5999 Year : 2,009 Book No. : 1

0201 प्रसिद्धि कां.प्रा.लि.द्वारा अधि.ह.टी.के.दीक्षित
स्व.सी एस दीक्षित
बी-703 महानगर लखनऊ
नौकरी

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा–32ए0 के अनुपालन हेतु, फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रथम पक्ष का नाम व पताः– बालकेश पुत्र पृथ्वीपाल, निवासी ग्राम–मिर्जापुर भिटारी पो0 नौगॉव, तहसील व जिला फतेहपुर।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्हः–

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

प्रथम पक्ष के हस्ताक्षर

द्वितीय पक्ष का नाम व पताः– प्रसिद्धि कान्सट्रक्सन्स प्रा0 लि0, रजिस्टर्ड आफिस– द्वितीय तल, एल्डिको कार्पोरेट चेम्बर प्रथम, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री टी0 के0 दीक्षित पुत्र स्व0 सी0 एस0 दीक्षित निवासी– बी–703, महानगर, लखनऊ।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्हः–

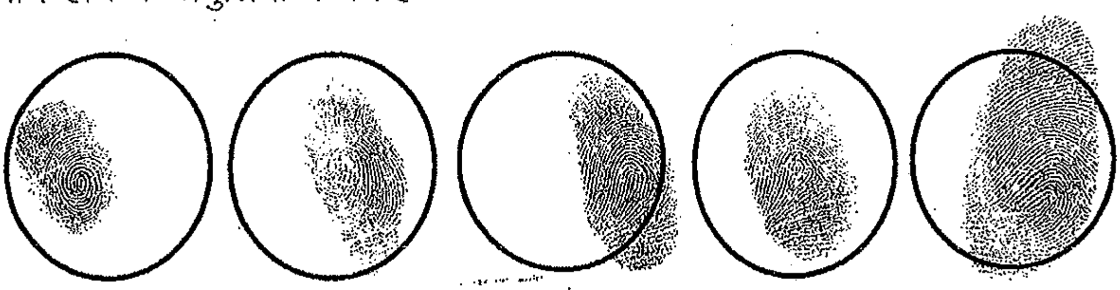

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

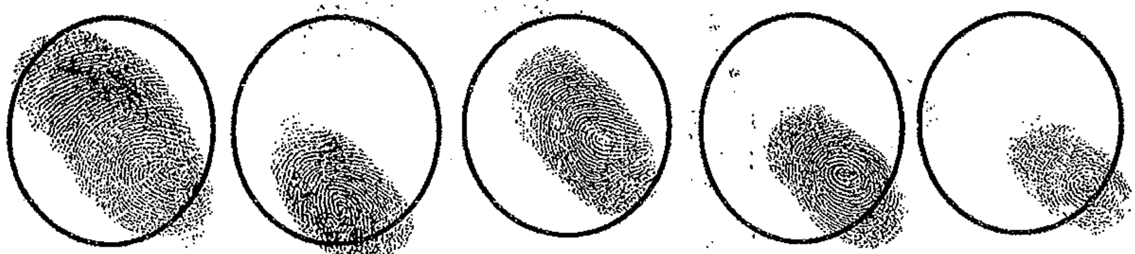

द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर

आज दिनांक **30/12/2009** को

बही सं. **1** जिल्द सं. **2016**

पृष्ठ सं. **203** से **228** पर कमांक **5999**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रमोद कुमार गुप्ता
उ.नि.मोहनलालगंज
लखनऊ
30/12/2009